संoसंo : 4तकo / विविध / C / 209 / 2012

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अ धि सू च ना

विषय : **बिहार राज्य उद्योग एवं निवेश सलाहकार परिषद(Bihar State Industrial Investment & Advisory Council) का गठन।**

राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए "बिहार राज्य उद्योग एवं निवेश सलाहकार परिषद(Bihar State Industrial Investment & Advisory Council)" का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :–

1)	मुख्य मंत्री, बिहार	–	अध्यक्ष
2)	उप मुख्य मंत्री, बिहार	–	उपाध्यक्ष
3)	मंत्री,उद्योग,बिहार	–	सदस्य
4)	मुख्य सचिव, बिहार	–	सदस्य सचिव
5)	विकास आयुक्त,बिहार	–	सदस्य
6)	प्रधान सचिव,उद्योग विभाग,बिहार	–	सदस्य
7)	मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार	–	सदस्य
8)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन	–	सदस्य

उद्योग एवं व्यवसाय जगत के प्रतिनिधि

9) श्री दीपक पारीख, अध्यक्ष, HDFC
10) श्री केoभीo कामथ, अध्यक्ष, ICICI Bank & Chairman, Infosys
11) श्री प्रदीप चौधरी, अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
12) श्री अनिल अग्रवाल,कार्यकारी अध्यक्ष, वेदांता
13) श्री वाईoसीo देवेश्वर,अध्यक्ष, आईoटीoसीo लिo
14) श्री जमशेद गोदरेज,अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, Godrej & Boyce
15) श्री नितिन प्रांजपे, CEO & MD, Hindustan Unilever
16) श्री इशमत हुसैन, निदेशक वित्त, टाटा सन्स
17) श्री एनo चन्द्रशेखरन, मुख्य कार्यकारी निदेशक,टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज
18) सुश्री शिखा शर्मा, प्रबंध निदेशक, ऐक्सिस बैंक
19) श्री अनलजीत सिंह, अध्यक्ष, मैक्स इण्डिया

आर्थिक एवं प्रबंधन प्रक्षेत्र के प्रतिनिधि

20) डाo(श्रीमती) इशर जज अहुलवालिया,Chairperson,Indian Council for Research and International Economic Relations
21) डाo सुदीप्तो मुण्डल, Senior Faculty, NIPFP
22) डाo जेo सिन्हा, अध्यक्ष, एसिया पेसिफिक, बोस्टन कन्सलटेंसी ग्रुप

बिहार फाउण्डेशन के प्रतिनिधि

23) श्री यूoकेo सिन्हा,अध्यक्ष, SEBI

2. परिषद के मुख्य कार्य–कलाप निम्न प्रकार होंगे –

(क) राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश के प्रोत्साहन की नीतियों के लिए एक मंच प्रदान करना तथा राज्य के उद्योग एवं निवेश के विकास हेतु योजनाओं के सुत्रीकरण के लिए सुझाव देना।

(ख) विभिन्न प्रक्षेत्रों, यथा, औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन, Hospitality, ऊर्जा, तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा, कृषि आधारित उद्योग, शहरी आधारभूत संरचना के विकास हेतु विशिष्ट योजनाएँ बनाने में राज्य सरकार को मदद देना।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति एवं संसाधनों को उपलब्ध कराने हेतु उद्यमियों को सुलभ व्यवस्था करना।

(घ) राज्य के युवा वर्ग को नियोजन के अवसर बढ़ाने हेतु उनके कौशल विकास की योजनाएँ तैयार करना।

(च) समाज के वंचित वर्ग, यथा, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएँ बनाने में सहायता देना ताकि वे आर्थिक विकास की गतिविधियों का लाभ उठा सके।

3. परिषद की बैठक समय–समय पर मुख्य मंत्री के आदेश से आयोजित की जाएगी।

4. बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों को मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी को अनुमान्य यात्रा भत्ता देय होगा। साथ ही उनके आवासन की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाएगी।

5. विशिष्ट क्षेत्रों में सलाह देने हेतु परिषद द्वारा उप समूह भी गठित किये जा सकेंगे।

6. परिषद को सचिवालीय सहायता उद्योग विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। परिषद की बैठकों पर होनेवाले खर्च एवं गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता/आवासन आदि का खर्च उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।

7. परिषद की बैठकों में आवश्यकतानुसार किसी अन्य महानुभाव को आमंत्रित किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(आलोक कुमार सिन्हा)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

ज्ञापांक – पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

ह०/–
(आलोक कुमार सिन्हा)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

ज्ञापांक –   पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग,बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी ई–गजट कोषांग में प्रकाशन हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

ह०/–
(आलोक कुमार सिन्हा)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

ज्ञापांक – 1219   पटना, दिनांक – 1-8-12

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग के प्रधान सचिव/विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, पटना/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी/बिहार राज्य उद्योग एवं निवेश सलाहकार परिषद के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार सिन्हा) 1-8-12
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।